

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2012/ज्येष्ठ 30, 1934

No. 1161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2012/JYAISTHA 30, 1934

## गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

का.आ. 1389(अ).—राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी. के. दुग्गल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को उक्त प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

[फा. सं. 44-12/2010-एन.डी.एम.-II] आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

S.O. 1389(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated Shri V. K. Duggal, IAS (Retd.) as Member of the said Authority.

[F. No. 44-12/2010-NDM-II] R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.